राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 917वी बैठक दिनांक 01.12.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 917वी बैठक दिनांक 01.12.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/1799/2025	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
2.	P2/1808/2025	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	P2/1816/2025	1(a)	दतिया	क्वार्टज खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	6043/2020	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	P2/1312/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
6.	8834/2021	7(da)	ग्वालियर	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
7.	10786/2023	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
8.	9912/2023	7(da)	राजगढ़	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	P2/1844/2025	1(a)	शिवपुरी	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	P2/1845/2025	1(a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 917वी बैठक दिनांक 01.12.2025 का कार्यवाही विवरण

11.	P2/1840/2025	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
12.	P2/1839/2025	1(a)	जबलपुर	सिलिका सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
13.	9942/2023	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	P2/1836/2025	1(a)	गुना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/1833/2025	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
16.	P2/1829/2025	1(a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
17.	P2/1828/2025	1(a)	शिवपुरी	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
18.	P2/1826/2025	1(a)	मुरैना	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
19.	P2/1820/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
20.	P2/1831/2025	1(a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
21.	P2/1322/2025	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
22.	P2/1031/2025	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 917वी बैठक दिनांक 01.12.2025 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/542035/2025, Case No. P2/1799/2025 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 ha. for production capacity of 7500 cum per year, at Khasra No.463/1, Village- Mundadi, Tehsil Malhargarh District- Mandsaur (MP) by Shrk Ummed Parihar, R/o Sindpan, Tehsil Malhargarh, Dist.-Mandsaur (MP)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **824वी बैठक दिनांक 02.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत लीज स्वीकृति आदेश 2577 दिनांक 16.10.2017 में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदाने जिनका कुल रकबा 7.00 हेक्टेयर है का उल्लेख किया गया है जबकि एकल प्रमाण पत्र कमांक 581 दिनांक 12.04.2024 में 500 मीटर की परिधि में 01 उत्खनन पट्टा रकबा 2.00 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के दोनो ही पत्र विरोधाभाषी है। लीज स्वीकृति आदेशानुसार उक्त प्रकरण बी–1 श्रेणी का परिलक्षित है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत कलेक्टर जिला मंदसौर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की वस्तुस्थिति 15 दिवस में प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष**

2. Proposal No.: SIA/MP/MIN/543319/2025, Case No. P2/1808/2025 Prior Environmental Clearance for Stone mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.501 Ha., for production capacity of 25,000 Cubic Meter/year, at Khasra No. 283/2, 301/1, 301/2, 302, 303, 309, 314, Village- Maithana, Tehsil–Murar, District - Gwalior, (M.P.) by Smt. Urmila Kirar W/o Shri Rajkumar Kirar Add. - 20/2,Village Maithana, Tehsil-Murar, District-Gwalior (M.P.)- 474006

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **825वी बैठक दिनांक 04.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 825वी बैठक दिनांक 04.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर के आदेश कमांक 715 दिनांक 28.03.2025 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.03.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

3. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/469228/2025, Case No. P2/1816 /2025 Prior Environmental Clearance for Quartz Deposit (Opencast semi mechanized method), of 4.90 Hectare, for production capacity 12,285 MT/Year, at Khasra No. 722 Part, in Village –Bhagor, Tehsil –Datia & District – Datia (M.P.) by Shri Munna Agarwal, R/o J 17, Eldeco County Rajgarh Lalitpur Road, Jhansi, Bijoli, Jhansi, 33 Bn. Pac - Jhansi, (U.P.), 284135**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **825वी बैठक दिनांक 04.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 825वी बैठक दिनांक 04.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **म.प्र. खनिज साधन विभाग के पत्र क्रमांक 5922/2007/12/1 दिनांक 09.11.2009 अनुसार 30 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.11.2039 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नहर से न्यूनतम 200 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

4. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/550063/2025, Case No. 6043/2020: Prior Environment Clearance for Metal Stone Quarry in an area of 2.0 ha. for production capacity of 44699 cum per annum, Khasra No. 1592/1, Village - Didwara, Tehsil - Luvkush Nagar, Dist. Chhatarpur (MP) by M/s A.K. Choudhary Contractors & Real Estate Pvt. Ltd, Basant Vihar Colony, Meerut Road, Dist. Bijnor, UP - 585103 Regarding transfer of EC in the name of Shri Somesh Bharadwaja R/O Goolar Naka Amar Cinema Banda, U.P.**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 01 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

5. **Proposal No. SIA/MP/INFRA2/528072/2025, Case No P2/1312/2025: Prior Environment Clearance for Proposed Residential Project "Satguru N M Enclave" in an area of 1.81 ha. (18095.40 sq. mt.) Total Built-Up Area of 68,683.89 sq. mt. at Khasra No. 28/1/2, 29/3/1/2/3, 30/3, 31/2/2, Village-Limbodi (CT), Tehsil-Indore, District-District- Indore (M.P.) by M/s D S Warehousing & Infrastructure Pvt. Ltd. Jaspreet Singh Bhatia, Director, 16/1, Shakti Apartment, Old Palasia, Indore (MP)- 452001.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 827 वी बैठक दिनांक 12.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :—

1. जल आपूर्ति के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (CGWA/ Municipal body/Any other source) प्रस्तुत करें।
2. परियोजना हेतु अग्निशमन विभाग (Fire Department) से जारी अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (Fire NOC) प्रस्तुत किया जाए।
3. Extra treated waste water हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
4. Municipal Solid Waste disposal हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
5. वर्तमान नियमों के अनुसार Sewage Treatment Plant का निर्माण भूमि–स्तर के ऊपर (above ground level) किया जाना है। तदनुसार आवश्यक तकनीकी विवरण एवं जानकारी प्रस्तुत करें।
6. परियोजना स्थल का संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भवन योजना (**Building Permission / Plan**) की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
7. Tree Mapping सहित स्थल योजना (Site Plan) लेआउट योजना तैयार कर प्रस्तुत करें।
8. निर्माण श्रमिकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था स्पष्ट करें।
9. परियोजना के कार्बन फूटप्रिंट से संबंधित समस्त विवरण ऊर्जा खपत, उत्सर्जन स्रोत, अनुमानित CO_2 उत्सर्जन तथा इसके न्यूनीकरण उपाय सहित स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए जाए।
10. CSR गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया जाए। इसमें यह उल्लेख हो कि ये कार्य कहाँ, कैसे और किस प्रकार किए जाएँगे तथा इनसे किस वर्ग को और किस प्रकार लाभ मिलेगा।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्रं.1 से 10 तक की जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त किया जाये तदोपरांत प्रकरण पर विचार किया जाएगा।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

6. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/541969/2025, Case No.: 8834/2021 Prior Environment Clearance for M/s Devis Surgico Capacity Expansion from 100 kg per hour to 350 kg per hour (by addition of rotary kiln of 250 kg per hour) in Common Bio Medico Bio Medical Waste Treatment Facility at Village-Antri, Tehsil-Chinor, Dist. Gwalior, (M.P.) by M/s Devis Surgico, 3, Giriraj Market, Lohiya Bazar, Laskar, Dist. Gwalior, M.P. 474009,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 826वी बैठक दिनांक 09.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उपरोक्त विषयांकित प्रकरण मेसर्स डेविस सर्जिको द्वारा ग्राम आंतरी, तहसील चिनोर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित मौजूदा 'सामान्य जैव–चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा' की क्षमता को 100 किलोग्राम प्रति घंटा से बढ़ाकर 350 किलोग्राम प्रति घंटा करने (by addition of rotary kiln of 250 kg per hour) हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है।
2. उक्त परियोजना सर्वे नंबर 1331/2, ग्राम आंतरी, तहसील चिनोर, जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) में स्थित है, और यह सुविधा मेसर्स डेविस सर्जिको द्वारा संचालित की जा रही है।
3. उक्त प्रकरण ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के यथासंशोधित अधिसूचना दिनांक 17.04. 2015 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजना के अंतर्गत 7 (da) में सम्मिलित किया गया है।
4. SEAC की 826वी बैठक दिनांक 09.09.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 56 से 67 पर अंकित है।
5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Projects Details.	
1.	Proposal /Activity Name	**M/s Devis Surgico, 3, Giriraj Market, Lohiya Bazar, Laskar, Dist. Gwalior, MP - 474009, Email devissurgico[at]gmail[dot]com, Mobile - 9827050487,** *Prior Environment Clearance for* **M/s Devis Surgico** *Capacity Expansion from 100 kg per hour to 350 kg per hour (by addition of rotary kiln of 250 kg per hour) in Common Bio Medico Bio Medical Waste Treatment Facility at Village - Antri, Tehsil - Chinor, Dist. Gwalior, (M.P.).* **SIA/MP/INFRA2/541969/2025.**

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2.	ToR Amendment	**Capacity expansion from 100kg per hr to 350kg per hr by addition of static kiln of 250 kg per hr in common biomedical waste treatment facility**
3.	Previous ToR Status [69660]	*Prior Environment Clearance for Capacity Expansion from 100 kg per hour to 350 kg per hour (by addition of rotary kiln of 250 kg per hour) in Common Bio Medico Bio Medical Waste Treatment Facility at Village - Antri, Tehsil - Chinor, Dist. Gwalior, MP [69660]* **Cat. – 7(da) Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.** ToR Recommended in 535th SEAC Meeting dated 16/12/21. ToR Recommended in in 590 th SEAC meeting dated 26/08/2022. TOR approved in 698 SEIAA meeting dated 28-12-21. TOR issued vide letter no. 2850- 51/SEIAA/22 dated 17-01-22. Valid till 27-12-2025.
4.	Ammendment in ToR details	○ Amendment in ToR Recommended in 680 th SEAC meeting dated 15/09/2023. ○ Amendment ToR Approved in 811 th SEAC meeting dated 06/10/2023. ○ Amendment ToR letter issued by MPSEIAA vide letter no. 1773/ SEIAA/2023 Bhopl dated 17/10/2023.
6.	EC Status (Fresh or Exp.)	Expansion.
7.	Land Area details	Survey No. - 1331/2, Village - Antri, Tehsil - Chinore, Distt.- Gwalior (M.P.).
8.	Area in ha.	0.941 Hectare.
9.	Production Qty. in M^3/Y	Capacity Expansion from 100 kg per hour to 350 kg per hour (by addition of rotary kiln of 250 kg per hour).

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 917वीं बैठक दिनांक 1.12.2025 में प्रकरण के पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की SEAC की 826वी बैठक दिनांक 09.09.2025 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से xvii विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2016 के संशोधित प्रावधानों और समय–समय पर सीपीसीबी द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

ii) ETP को बढ़ी हुई क्षमता अनुसार उन्नत किया जाए एवं treated water norms का पालन किया जाए।

iii) Stack emission norms, online continuous emission monitoring system (OCEMS) स्थापित किया जाए।

iv) No overflow/mixing of municipal waste with biomedical waste.

v) BMW प्रबंधन से संबंधित 6 मासिक रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाए।

vi) संयंत्र संचालन के दौरान तापमान, दबाव एवं उत्सर्जन के स्तरों की नियमित निगरानी की जाएगी तथा रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे, जिससे आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराए जा सकें।

vii) नियमित अंतराल पर ड्रेन वॉल्व की सफाई की जाए तथा संपूर्ण पाइपलाइन एवं कनेक्शन में किसी भी प्रकार के लीकेज की जांच कर आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित की जाए।

viii) सभी वॉल्व, प्रेशर गेज एवं संबंधित मॉनिटरिंग उपकरणों का कम से कम प्रत्येक 6 माह में एक बार अधिकृत एजेंसी द्वारा कैलिब्रेशन किया जाए और उसका रिकॉर्ड परियोजना स्थल पर सुरक्षित रखा जाए।

ix) परियोजना स्थल पर फायर सेफ्टी प्रणाली एवं स्पिल मैनेजमेंट प्लान आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहें तथा इनके संचालन, रखरखाव एवं नियमित निरीक्षण की जिम्मेदारी परियोजना प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

x) प्लांट के चारों ओर तीन कतार में सघन वृक्षारोपण किया जावें।

xi) प्लांट के सामने रोड पर किसी भी प्रकार का परिवहन प्रभाव, प्लांट गतिविधियों द्वारा न पड़े।

xii) प्लांट हेतु जैव अपशिष्ट के परिवहन में संपूर्ण सावधानी रखी जाए एवं पर्यावरण नियमों का पालन कड़ाई से किया जावें।

xiii) जैव अपशिष्ट के एकत्रीकरण एवं निष्पादन 48 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से किया जावें।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

xiv) CBWTF का कार्यक्षेत्र का निर्धारण MPPCB द्वारा किया जावेगा जो कि बंधनकारी होगा।

xv) अपशिष्ट की राख एवं ETPके बीच का अंतिम निष्पादन प्राधिकृत TSDF में ही किया जावेगा। जिसका लेखा भी रखा जावेगा। परिवाहन एवं निष्पादन की सूचना MPPCB को दी जावेगी।

xvi) प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए रोड़ साईट Incinerator एवं चिमनी की ओर बाउण्ड्रीवाल की ऊँचाई पर्याप्त रखी जावे।

xvii) ETP के पर्यवेक्षण हेतु पृथक से विद्युत मीटर की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाये।

xviii) परियोजना स्थल का रोड़ समीपस्थ होने के कारण यदि आवश्यक हो तो, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक रखी जाये।

xix) पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन के अनुसार दुर्गंध निवारण एवं नियंत्रण हेतु प्रस्तावित उपायों का पालन अनिवार्यतः किया जावे, साथ ही दुर्गंध के निवारण हेतु सक्षम नियंत्रण उन्नत तकनीकी से किया जाये।

xx) यह परियोजना ईकाई औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है इस कारण CETP की सुविधा न होने के कारण इकाई में Zero Liquied Discharge के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सतत् अनिवार्य है।

xxi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं का परिपालन जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शन एवं समन्वय में अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे।

xxii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण) द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 में भूजल दोहन हेतु निहित प्रावधान अनुसार निर्माण कार्य के पूर्व अनिवार्यतः अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

xxiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यस्थल पर इंसीनेटर के तापमान का डिस्प्ले कर उक्त तापमान का रिकार्ड अद्यतन रखा जावेगा।

xxiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा CBWTF से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ठ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट से उत्सर्जित स्लज को मिलाकर अपवहन TSDF के माध्यम से किया जाये। परिसर में किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ठ का भण्डारण एवं उसका भूमि के अंदर अनिवार्यतः नहीं डाला जावे।

xxv) प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

7. Proposal No.: SIA/MP/MIN/550063/2025, Case No. 10786/2023 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.625 ha. for production capacity of 21237 cum per year (As per DEIAA EC), at Khasra No. 499, Village-Ghatahari, TehsilGaurihar, District-Chhatarpur (MP) by Smt. Saroj Singh W/o Shri Ramraj Singh Prakash, R/o Bamhori, Tehsil-Gourihar, District-Chhatarpur (MP)-471510

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **827वी बैठक दिनांक 12.09.2025** एवं 781वी बैठक दिनांक 03.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 827वी बैठक दिनांक 12.09.2025 एवं 781वी बैठक दिनांक 03.04.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर के आदेश क्रमांक 1637 दिनांक 19.07.2023 अनुसार दिनांक 20.03.2026 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.03.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

8. Proposal No.: SIA/MP/INFRA2/525087/2025, Case No 9912/2023 Smt. Pramila Sharma, Director, House No. -8, 5 Vinay Grah, Nirman Society Hoshangabad Road, Jatkhedi, Tehsil Huzur, Distt. – Bhopal (M.P.). 462026. Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility at Survey No - 36/5 ,VillageTutipura, Tehsil & District Rajgarh, Madhya Pradesh , Total Plot Area - 1.38 Acres (5610sq.m) Cat. – 7(da) Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 827 वी बैठक दिनांक 12.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि का स्वामी होने के संबंध में अधिकारिक व प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया। खसरा पंचशाला या ऐसा अन्य कोई दस्तावेज नहीं है जो भूमि स्वामी होने की पुष्टि करता हो। इसमें जो Sale Deed संलग्न की गई है उसमें प्रतिफल की राशि प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है। बिना प्रतिफल के Sale Deed शून्य मानी जाती है।
2. आवेदन पत्र के पार्ट–बी के सरल कमांक 3.2 में गलत जानकारी दी गई है। APCD का विवरण नहीं दिया गया है। ETP/STP का भी विवरण नहीं है, STP की Adequcey प्रमाणित नहीं है। 1.8 TPA MSW के लिये स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण सलाहकार शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की ओर से शपथकर्ता का नाम उल्लेख नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण में असत्य एवं अपूर्ण जानकारी होने के कारण क्यों न आवेदन पत्र निरस्त किया जावे, इस संबंध में SEAC अपना अभिमत प्रस्तुत करें। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

9. Proposal No. SIA/MP/MIN/544647/2025, Case No. P2/1844/2025, Prior Environment Clearance for Granite Deposit Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.0 ha. for production capacity of Granite 2000 m3 /year, Saleable waste 8000 m3 /year & OB 5,000 m3/yar, at Khasra No. 608/1, Village: - Bichi, Tehsil-Narwar, District: - Shivpuri (M.P) by Shri Siddh Stonex Partner Shri Abhay Singh Kushwah R/o: Behind M.M. Hospital District: -Shivpuri, State: -Madhya Pradesh

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **827वी बैठक दिनांक 12.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 827वी बैठक दिनांक 12.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2124 दिनांक 16.12.2024 अनुसार 20 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.12.2044 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 15 वृक्षों में से काटे जाने वाले 05 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 50 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

10. Proposal No. SIA/MP/MIN/544730/2025, Case No. P2/1845/2025 Prior Environment Clearance for Stone mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 Hectare, for production capacity of 5,000 Cubic meter/year. at Khasra No. - 9/2, in Village –Hajipura, Tehsil –Rajgarh, District- Rajgarh (M.P.) by Shri Rudra Pratap Singh, R/o Shiv Pratap Nagar, Rajgarh,Distt. –Rajgarh (M.P.)– 465661

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **827वी बैठक दिनांक** 12.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 827वी बैठक दिनांक 12.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ के आदेश क्रमांक 226 दिनांक 18.02.2025 अनुसार 20 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 17.02.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 15 वृक्षों में से काटे जाने वाले 08 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 100 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

11. Proposal No. SIA/MP/MIN/530272/2025, Case No. 1840/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.280 ha., for production capacity of 20,000 Cum per year, at Khasra No. 2466, (Govt. Land), Village Bharbhadiya, Tehsil & Distirct Neemuch (M.P.) by Shri Kanhaiyalal Patidar, R/o VillageBharbhadiya, Tehsil&DistirctNeemuch (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **827वी बैठक दिनांक 12.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 827वी बैठक दिनांक 12.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) नीमच के आदेश क्रमांक 486 दिनांक 26.02.2018 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.02.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

12. Proposal No. SIA/MP/MIN/ 473189/2025, Case No. P2/1839/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha. for production capacity Silica Sand-18001 TPA, at Khasra No. 298/1 & 298/2, Village- Tikharl Tehsil- Jabalpur District - Jabalpur (M.P.) by Shri Gulvi Uikey, R/o Village Chargawan, Tehsil Jabalpur, District Jabalpur (M.P)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **827वी बैठक दिनांक 12.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

> परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 250 मीटर की परिधि के अंदर वन क्षेत्र स्थित है जिसमें संभागीय आयुक्त जबलपुर की अनुशंसा अनिवार्य है जो कि परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं है। SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में संभागीय आयुक्त जबलपुर की अनुशंसा प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है किन्तु संभागीय आयुक्त जबलपुर की अनुशंसा परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा 250 मीटर की परिधि के अंदर स्थित वन क्षेत्र के संबंध में संभागीय आयुक्त जबलपुर की प्राप्त अनुशंसा को 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/519183/2025, Case No 9942/2023, Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.928 ha., for production capacity of 40000 cum per annum, at Khasra No. 679/2/1, Village Jajora Tehsil- Orchha District Niwari (M.P.) by Shri Rajeev Rai, R/o-214 Chhaniya Jhansi Khas, Tehsil- Jhashi, District-Jhashi U.P.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **827वी बैठक दिनांक 12.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 827वी बैठक दिनांक 12.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) निवाड़ी के आदेश कमांक 276 दिनांक 30.09.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.09.2053 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 13/10/2022 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा क्षेत्र की ओर निर्धारित दूरी छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा एवं वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तो का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/463217/2025, Case No. P2/1836/25, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha., for production capacity of 10,334 m³/Year, at Khasra No. 29/4, Village:- Ankkhedi, Tehsil- Kumbhraj, District: - Guna (M.P) by Shri Prem Bihari Lodha S/o Shri Harikrishnan Lodha R/o Gram- Sadla, Tehsil- Manohar Thana, District- Jhalabad State-Rajasthan

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **827वी बैठक दिनांक 12.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 827वी बैठक दिनांक 12.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) गुना के आदेश क्रमांक 3202 दिनांक 24.03.2018 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.03.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/544267/2025, Case No. P2/1833/2025, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.90 ha., for production capacity of Stone 60000 m3 /year, Khasra No. 240/3, Village: - Sabadi, Tehsil Multai, District:-Betul (M.P) by Shri Balaji Associates, Partner Manish Bajpayee R/o: Sharda Nagar, Ranipur Road, District – Betul (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **826वी बैठक दिनांक 09.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 826वी बैठक दिनांक 09.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के आदेश कमांक 2038 दिनांक 12.12.2024 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.12.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

16. Proposal No. SIA/MP/MIN/543547/2025 Case No. P2/1829/2025, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.0 ha. for Producation capacity of 5001 m3 /year, at Khasra No. 210/1, Village: - Bhikanpur, Tehsil- Sarangpur, District: - Rajgarh (M.P) by Shri Tulsiram S/o Shri Amar Singh Banjara R/o: VillageBhikanpur, Tehsil- Sarangpur, District – Rajgarh (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **826वी बैठक दिनांक 09.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 826वी बैठक दिनांक 09.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ के आदेश क्रमांक 201 दिनांक 22.02.2024 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.02.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 04 वृक्षेां में से काटे जाने वाले 04 वृक्ष के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 40 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जाये। उक्त काटे जाने वाले वृक्ष को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

17. Proposal No. SIA/MP/MIN/543621/2025, Case No. – P2/ 1828/2025, Prior Environment Clearance for Murum Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha, for Producation capacity of 18,000 Cu.m/year, at Khasra No:254/1, 254/2, Village:Khonkar, Tehsil: Kolaras & District:Shivpuri, (M.P.) by Shri Kishan Singh Rawat, PadoraSadak, Kalaras, Shivpuri, Kolaras, Madhya Pradesh-473774

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **826वी बैठक दिनांक 09.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य मुरूम की खुदी हुई खदान परिलक्षित है जिसको मिलाकर कुल रकबा 5.0 हेक्टेयर से अधिक होता है तथा प्रकरण बी–1 श्रेणी में आता है। प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये एकल प्रमाण पत्र में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान नहीं होने का लेख किया गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत SEAC द्वारा जिला कलेक्टर शिवपुरी से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदनों की वस्तुस्थिति प्राप्त करने के उपरांत प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अनुशंसा SEIAA को प्रेषित की जाये। अतः प्रकरण SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

18. Proposal No. SIA/MP/MIN/522603/2025 Case No. – P2/1826/2025, Prior Environment Clearance for Soil Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 1.00 Ha, for Production capacity of 3,000 m3/Year, at Khasra No - 3360, 3361 & 3368, Village - Devhans Ka Pura, Tehsil – Porsa, District- Morena (M.P.) by Shri Saurabh Singh S/o Shri Naresh Singh, Devhans Ka Pura, Tehsil -Porsa, District -Moorena (M. P.) – 476115

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **826वी बैठक दिनांक 09.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 826वी बैठक दिनांक 09.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मुरैना के आदेश क्रमांक 772 दिनांक 20.09.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.09.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नहर से सभी ओर न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

19. Proposal No. SIA/MP/MIN/480756/2025, Case No.P2/1820/2025, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.25 ha., for Production capacity of Gitti – 19,600 cum per year and M-Sand 8400 cum per year, at Khasra No. 261/866, Village- Nipaniya Badar, Tehsil – Jharda, District Ujjain (MP) By Shri Gautam Mittal, Proprietor, B-230, Shahpura, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **827वी बैठक दिनांक 12.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 827वी बैठक दिनांक 12.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन के आदेश क्रमांक 403 दिनांक 05.03.2024 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.03.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

20. Proposal No. SIA/MP/MIN/543838/2025, Case No. P2/1831/2025, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.0 ha., for Production capacity of 5001 m3 /year, at Khasra No. 322/3, Village: - Dhand, Tehsil- Suthaliya, District: - Rajgarh (M.P) by Shri Krishna Bahadur Singh S/O Shri Rampal Singh R/o: Gram- Baraitha, Post & Tehsil- Narsinghgarh, District – Rajgarh (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **826वी बैठक दिनांक 09.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 826वी बैठक दिनांक 09.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ के आदेश क्रमांक 306 दिनांक 13.03.2024 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.03.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

21. Proposal No.: SIA/MP/MIN/518255/2025, Case No P2/1322/2025 Prior Environment Clearance For Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area 2.00 Ha, for Production capacity of Stone - 15430. M3/ Year & M-Sand-5000. M3/ Year, at Khasra No.- 469/3, 470, Village – Baadegaon, Tehsil Multai Dist. Betul (M.P.) by Shri Umesh Sarode, R/o Village- Kamath Tehsil - Multai District - Betul (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 810वी बैठक दिनांक 12.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 907वी बैठक दिनांक 30.10.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड पर्यावरण सलाहकार के शपथ पत्र में पर्यावरण सलाहकार के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 18.11.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 810वी बैठक दिनांक 12.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के आदेश कमांक 259 दिनांक 16.02.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.02.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

22. Proposal No.: SIA/MP/INFRA2/518304/2025, Case No. P2/1031/2025, Sage properties, "Sage Skyline" Development of Residential Tower Project, Sage Plaza, M.P. Nagar Bhopal (M.P.) proposed project is "Sage Skyline" Development of Residential Tower Project by M/s Sage Property Sanjeev Agrawal (Partner) which is to be developed at near Apollo Sage Hospital E-8 Ext. Arera Colony Bhopal, (M.P.) Village-Bawadiyakalan, Tehsil- Kolar, District-Bhopal (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 826वी बैठक दिनांक 09.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की बैठक 912वीं बैठक दिनांक 14.11.2025 मे पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व विचार विमर्श उपरांत पाया गया कि

1. *Parivesh Portal पर प्रस्तुत Query Reply में दर्शाया गया Built-up Area 30,767.5 Sqm तथा Online Form में उल्लेखित Built up Area 49228 Sqm परस्पर भिन्न हैं; कृपया स्पष्ट करें कि दोनों में से कौन–सा Built up Area सही है तथा अंतर का कारण सहित सही आँकड़े प्रस्तुत करें।*

2. *Sewage Treatment Plant को अंडरग्राउण्ड स्थापित किया जाना बताया गया है जबकि वर्तमान नियमों के अनुसार Sewage Treatment Plant का निर्माण भूमि–स्तर के ऊपर (above ground level) किया जाना है। तदनुसार आवश्यक तकनीकी विवरण एवं जानकारी प्रस्तुत करें।*

3. *Liquid Waste Disposal व Solid Waste Disposal की क्या व्यवस्था है स्पष्ट करें आपके द्वारा प्रस्तुत NOC में अंकित किया है कि ठोस अपशिष्ट का निस्तारण व्यवस्था आपके द्वारा ही किया जाना है; अतः उपरोक्त विवरणानुसार तरल एवं ठोस अपशिष्ट निस्तारण की संपूर्ण स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की करें।*

4. *निर्माण श्रमिकों हेतु की गई अस्थायी शौचालयों (Temporary Toilets) से उत्पन्न अपशिष्ट के निस्तारण एवं सीवेज के सुरक्षित प्रवाह की योजना प्रस्तुत की जाए।*

5. *परियोजना के कार्बन फूटप्रिंट से संबंधित समस्त विवरण ऊर्जा खपत, उत्सर्जन स्रोत, अनुमानित CO2 उत्सर्जन तथा इसके न्यूनीकरण उपाय सहित स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए जाए।*

6. *परियोजना के भीतर स्थित Kitchen से प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले जैविक/गीले कचरे के निस्तारण हेतु परिसर में Vermicompost Unit plan प्रस्तुत करें।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 6 तक की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 20.11.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

i. उक्त प्रस्तावित प्रकरण सेज प्रॉपर्टीज द्वारा प्रस्तावित "सेज स्काईलाइन" आवासीय टावर Near Apollo Sage Hospital, E-8 Ext. Arera Colony Bhopal,Village – Bawadiyakalan, Tehsil Kolar,District – Bhopal (M.P.) में M/s Sage Property श्री संजीव अग्रवाल (पार्टनर) द्वारा विकसित किये जाने हेतु पर्यावरण स्वीकृति का है।

ii. परियोजना के लिए कुल भूखंड 10,728 वर्गमीटर है कुलनिर्मित क्षेत्र 49,228 वर्गमीटर है, जो 1,50,000.00 sq.m.से कम है इसलिए ईआईए अधिसूचना 2006 और संशोधनों के अनुसार,परियोजना 8(a) के अंतर्गत 'बी' श्रेणी में सूचीबद्ध है।

iii. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **797 वीं बैठक दिनांक 27.05.2025** को "पर्यावरणीय स्वीकृति "प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 9 से 23 तक अंकित है।

iv. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है : –

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/518304/2025.
2.	Project Name/Activity	M/s Sage Property Rakesh Agrawal (Partner) Sanjeev Agrawal (Partner) 250, Sage Plazza, M.P. Nagar, Zone-2 Bhopal *(M.P.)* – 462011.*Prior Environment Clearance for"Sage Skyline" Development of Residential Tower Project at Khasra No. - 37/1/2 Near Apollo Sage Hospital, E-8 Ext. Arera Colony Bhopal, Village – Bawadiyakalan, Tehsil – Kolar, District – Bhopal (M.P.), Total Project area –10,728 Sqm. (2.65 Acre)* ***Built up Area – 49,228 sq mt., Cat. - 8(a). Building and Construction projects.***
3.	Project Proposal For	New.
4.	Project Cost.	8900 Lakhs.
5.	Description of Project	The proposed project is "Sage Skyline" Development of Residential Tower Project by M/s Sage Property Sanjeev Agrawal (Partner) which is to be developed at near Apollo Sage Hospital E-8 Ext. Arera Colony Bhopal, (M.P.) Village – Bawadiyakalan, Tehsil – Kolar, District – Bhopal (M.P.) the total plot size of the project is 10728 SQM (2.65 acre). The proposed project consists of Residential Flats, Shops etc.
6.	Partnership deed	Submitted.

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

7.	Lat./Log.	1. 23°10'40.06"N 77°26'29.71"E 2. 23°10'39.38"N 77°26'26.90"E 3. 23°10'35.82"N 77°26'28.00"E 4. 23°10'35.87"N 77°26'30.92"E
8.	Building Hight	46 Meter.
9.	Built-up Area details	**49,228 sq mt.,** As per Conceptual Plan.
10.	Environmental Consultant Change	Shri Varun Bhardwaj,M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) Valid up to 13. 01 2026.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 917वीं बैठक दिनांक 1.12.2025 में प्रकरण के पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की SEAC की 797 वीं बैठक दिनांक 27.05.2025 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से xvii विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

ii. परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

iii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

iv. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

vii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

viii. प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

परिशिष्ट–1

कॉमन बायोमेडिकल बेस्ट ट्रीटमेन्ट की विशिष्ट शर्तेः

1. This EC will be subject to the establishment criteria to be decided by the MPPCB.
2. Proponent shall strictly comply the design criteria for incinerator, autoclave, shredder and all other requirements as per CPCB guidelines.
3. ZLD status shall be maintained all the time.
4. PP should ensure to implement the need base activities under CER in consultation with district administration/village panchayat.
5. This environmental clearance is issued subject to implementation of online air monitoring facility equipment, waste water management odour management and noise management system. PP should ensure to efficiency of the pollution control measurement should not be less than 99%.
6. PP to include carbon foot print in the Environmental Monitoring and set targets for reduction of their footprint in the management systems.
7. PP will take prior permission of MPPCB for establishing CBWTF at the site in reference to revised guideline of CPCB-2016 for CBWTF before installation.
8. Compliance of all the directions / Judgment issued by NGT or other Courts shall be binding on part of the PP
9. PP should install adequate ETP for treatment and disposal of effluent and Zero discharge should be maintained.
10. Process effluent/any waste water should not be allowed to mix with storm water.
11. Guidelines of CPCB/MPPCB for Bio-Medical Waste Common Hazardous Wastes Incinerators shall be followed.
12. No landfill site is allowed within the CBWTF site.
13. Ecosorb (organic and biodegradable chemical) and alumina will be used around odor generation areas at regular intervals for dilution of odorant by odor counteraction or neutralize.
14. PP will ensure to use only non chlorinated bags for handling and storing bio medical waste. In any case, PP is not allowed to use poly and plastic bags.
15. All safety measures will be strictly followed by workers for handling of Bio medical waste bags during storage and feeding at incinerator to prevent health hazards.

16. Incinerator should be properly interlocked with venture scrubber to control air pollution.
17. Incinerated ash and ETP sludge shall be disposed at approved TSDF and MoU made in this regard should be done prior to the commencement.
18. Color coding for handling waste be strictly followed as per BMW Rules 2016.
19. PP should ensure the rain water harvesting by providing of recharging pits. In addition, PP should provide recharging trenches. The base of the trenches should be Kachha with pebbles.
20. PP will install continuous online monitoring system to monitor the emissions from the stack. Periodical air quality monitoring in and around the site shall be carried out. The parameters shall include Dioxin and furan.
21. Proper Parking facility should be provided for employees & transport used for collection & disposal of waste materials.
22. Necessary provision shall be made for fire fighting facilities within the complex.
23. PP should carryout periodical air quality monitoring in and around the site including VOC, HC.
24. PP shall ensure to conduct quarterly health check up of workers working in the plant.
25. PP will construct garland drain of appropriate size and settling tank with stone pitching all around the plant premises.
26. PP should develop 5 m green belt all along the periphery of the species that are significant and used for the pollution abatement. Besides this, PP will explore the possibility to develop dense green belt by planting thick foliage trees.
27. Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, so as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the slag and bottom ashes less than 3%, or their loss on ignition is less than 5% of the dry weight of the material.
28. The proponent should ensure that the project fulfills all the provisions of Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 including collection and transportation design etc and also guidelines for Common Hazardous Waste Incineration - 2005, issued by CPCB.

29. The Leachate from the facility shall be collected and treated to meet the prescribed standards before disposal.
30. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures, and other energy efficient plant machineries and equipments.
31. The containers should be covered during transportation in order to prevent exposure of public to odors and contamination.
32. PP should have two storage rooms separately for treated and untreated waste.
33. PP should ensure the traffic movement plan, parking facilities and road width.
34. PP should develop green belt at least minimum of 33% in plant premises as per CPCB guidelines with native species/Pollution absorbing species.
35. All the recommendations, mitigation measures,environmental protection measures and safeguards proposed in the EIA report of the project submitted by project proponent vide commitments made during presentation before SEAC and proposed in the EIA report shall be strictly adhered to in letter and spirit.
36. The unit shall strictly comply with CPCB guidelines for setting up the common biomedical waste treatment facility.

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (भवन निर्माण के प्रकरणों हेतु)

परिशिष्ट –2

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–
   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.

8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network
9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.
10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.
11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.
12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.
13. **For firefighting:-**
    a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required .2016angement shoud be made avilable onthe project site as per NBC fire fighting arr
    b. The occupancy permit shall be issued by MunicipalCorporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
    c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises
14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.
15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.
16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping
17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.
18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.
19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.
20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.
21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.

23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - http://www.environmentclearance.nic.in/ or http://www.efclearance.nic.in/ and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report. Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, GoI at Bhopal and MPPCB.

26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.

28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.

30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.

31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.

33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.